UPMT010016442026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–778/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र.राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या– 162/2017 धारा–420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी नारायन सिंह पुत्र स्व० गिर्राज सिंह द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, मथुरा के यहाँ विपक्षीगण कल्पतरू बिल्डटैक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड, अशोक राणा पुत्र डी०एस० सिसौदिया के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने की प्रार्थना के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी एवं उनके साथी संदीप मीणा पुत्र राजपाल मीणा, रामप्रकाश मीणा पुत्र बीधाराम मीणा, ललितेश मीणा पुत्र हंसराज मीणा, सतीश कुमार मीणा पुत्र श्यामलाल मीणा, ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र हरेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त से कल्पतरू स्टेंट, चुरमुरा सैक्टर 4,5,6 में से प्रार्थी एवं उक्त साथियों द्वारा कल्पतरू स्टेट चुरमुरा में क्रमशः सैक्टर 4,5,6 में दिनांक 30.04.2013 को रूपए 35000/– जमा करके फ्लैट के लिये बुकिंग करायी थी और निरन्तर नियमानुसार रूपए 5,000/– प्रतिमाह के हिसाब से 36 माह तक जमा किये गये। प्रार्थी के द्वारा कुल रूपए 2,15,000/– तथा उक्त संदीप मीणा द्वारा रूपए 2,10,000/–, रामप्रकाश मीणा द्वारा दो फ्लैटों के लिये अलग–अलग 2,15,000–2,15,000/– कुल रूपए 4,30,000/– ललितेश मीणा द्वारा रूपए 2,15,000/–, सतीश कुमार मीणा द्वारा रूपए 2,10,000/– अजय कुमार मीणा द्वारा रूपए 2,15,000/– एवं ज्ञानेन्द्र द्वारा रूपए 1,27,000/– जमा किये गये तथा उनकी विधिवत रसीद दी गयी। जब प्रार्थी द्वारा 36 माह बाद मौके पर गये तो वहाँ कोई भी कल्पतरू स्टेट नाम की चीज नहीं थी और न ही वहाँ पर कोई फ्लैट निर्माण था और न आज है। प्रार्थी व उसके साथी जब उपरोक्त अशोक राणा से मिले और उनसे अपने पैसे वापस करने की बात कही एवं फ्लैट न होने या कि कल्पतरू स्टेट नाम की कोई

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.11 12:39:14 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कालोनी न होने की बात कही तो उसने उन्हें गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि तुम जैसे बेवकूफ मिलते ही कहाँ है, पैसे वापस करने होते तो लेते ही क्यों। जब उनसे ज्यादा अनुरोध किया तो कहा कि यहाँ से चले जाओ और यदि कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। मुकदमा लिखाने थाने गये थे, मुकदमा नहीं लिखा। एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को भी दिया था परन्तु कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। वादी के उक्त धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश से थाना फरह, जिला मथुरा में अभियुक्तगण कल्पतरू बिल्डटैक कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस व अशोक राणा के विरूद्ध मुकदमा अपराध सख्या 162/2017 धारा 120 बी., 420, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता पजीकृत हुआ। जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन–पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से लोगों को फ्लैट दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे धनराशि प्राप्त की गयी। वादी एवं उसके साथियों द्वारा दी गयी धनराशि के संबंध में रसीदें भी दी गयीं। अभियोजन के कथानुसार वास्तविकता में न तो कोई कॉलोनी विकसित की गयी और न ही फ्लैट निर्माण कराया गया। आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर वादी व अन्य व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिनका समाज पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत मामले में आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है तथा सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।
7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।
8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–10.03.2026

पवन कुमार, पी.ए.

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191